नीलामी समिति, जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में विभिन्न स्थलों पर 11 वृक्ष खडे है। उक्त 11 वृक्षों का राजकीय मूल्यांकन 16,721.00/- (सोलह हजार सात सौ इक्कीस रूपये मात्र) है, की नीलामी जहाँ है, जैसे हैं, के आधार पर दिनांक 29.04.2025 को सांय 04.30 बजे न्यायालय प्रांगण में नजारत के चबूतरे पर की जानी है। नीलामी माननीय उच्च न्यायालय से पेड़ो की कटाई की अनुमति आदेश के अधीन होगी।

अतः इस नीलामी में बोली बोलने हेतु इच्छुक व्यक्ति दिनांक 29.04.2025 को सांय 04.30 बजे नजारत के सामने चबूतरे पर उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन बोली बोल सकते है।

नीलामी शर्तेः-

1- इच्छुक व्यक्ति/फर्म का व्यापार कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी. नम्बर होना अनिवार्य है।

2- सफल बोलीदाता को बोली की धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार जी.एस.टी. की धनराशि जमा करनी होगी।

3- बोली बोलने वाले को बोली बोलने के पूर्व 5000/- रूपया अग्रिम धनराशि के रूप में जमा कराना होगा।

4- बोली बोलने से पूर्व जमानत धनराशि जमा करते समय प्रत्येक बोलीदाता को अपनी शिनाख्त हेतु प्रमाण स्वरूप फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा ऐसे ही किसी अन्य शिनाख्ती प्रपत्र की छायाप्रति दाखिल करनी होगी।

5- अधिकतम बोली बोलने वाले को सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी

6- बोली स्वीकृत होने के उपरान्त सभी वृक्षों की लकड़ी दो सप्ताह के अन्दर उठानी होगी।

7- पेड़ काटते समय यदि आवासीय भवन में या किसी अन्य प्रकार की अन्य कोई क्षति होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नीलाम खरीददार का होगा।

8- नीलामी माननीय उच्च न्यायालय से पेड़ो की कटाई की अनुमति आदेश के अधीन होगी।

9- किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा।

दिनांक-16.04.2025

(हस्ताक्षर) 16/04/25
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1- प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ।

2- जिला न्यायालय, फर्रूखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3- कलेक्ट्रेट नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

4- नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

5- जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

6- जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

7- मॉडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद को स्थानीय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।

8- बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

9- शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated July 2007 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1607/Admin. (B-V) Section: Allahabad Dated May 10,2024 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

दिनांक-16.04.2025

(हस्ताक्षर) 16/04/25
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

Seen. Same to be upload district Court website.
18/04/25